रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-26032020-218925 SG-DL-E-26032020-218925

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2020/चैत्र 4, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 421 No. 60] DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2020/CHAITRA 4, 1942 [N.C.T.D. No. 421

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 मार्च, 2020

सं.फा.14(66) / एलए—2020 / cons2law/56-63.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप—राज्यपाल की सहमति दिनांक 24 मार्च, 2020 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली विनियोग (संख्या ०१) अधिनियम, २०२०

(2020 का दिल्ली अधिनियम 01)

(23 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा-पारित)

[24 मार्च, 2020]

वर्ष 2019–2020 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1595 DG/2020 (1)

संक्षिप्त शीर्षक	1.	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2020 है।
₹16,08,15,000/— का वर्ष 2019—2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त	2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए सोलह करोड़ आठ लाख पन्द्रह हज़ार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2019–2020 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।
विनियोजन	3.	इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अविध के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में) निम्नलिखित से अनाधिक राशियां

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	100	1125	1225
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	0	134900	134900
4	वित्त	राजस्व	100	4	104
		राजस्व	2700	0	2700
6	शिक्षा	पूँजी	200	0	200
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	1400	0	1400
7	130 4000 (410-4	पूँजी	100	8292	8392
	समाज कल्याण	राजस्व	1700	0	1700
8		पूँजी	400	0	400
9	उद्योग	राजस्व	400	0	400
	विकास	राजस्व	1515	210	1725
10		पूँजी	100	5000	5100
	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	500	1569	2069
11		पूँजी	500	0	500
	योग		9715	151100	160815

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS NOTIFICATION

Delhi, the 24th March, 2020

No. F.14(66)/LA-2020/cons2law/56-63.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 24th March, 2020 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2020 (DELHI ACT 01 OF 2020)

 $(As\ passed\ by\ the\ Legislative\ Assembly\ of\ the\ National\ Capital\ Territory\ of\ Delhi\ on\ the\ 23rd\ March,\ 2020\)$

[24th March, 2020]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2019-2020.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy First Year of the Republic of India as follows:-

Short title.	1.	This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2020.			
Issue of ₹16,08,15,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2019-2020.		From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees Sixteen Crore Eight Lakh and Fifteen Thousand Only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2019-2020 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.			
Appropriation.	3.	The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.			

SCHEDULE (See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

	T	SUMS NOT EXCEPTING			
Demand	Services and Purposes		Voted by the	Charged on the	Total
No.			Legislative	Consolidated	
			Assembly	Fund	
I	II		III	IV	V
2	General Administration	Revenue	100	1125	1225
3	Administration of Justice	Revenue	0	134900	134900
4	Finance	Revenue	100	4	104
		Revenue	2700	0	2700
6	Education	Capital	200	0	200
		Revenue	1400	0	1400
7	Medical and Public Health	Capital	100	8292	8392
		Revenue	1700	0	1700
8	Social Welfare	Capital	400	0	400
9	Industries	Revenue	400	0	400
		Revenue	1515	210	1725
10	Development	Capital	100	5000	5100
11	Urban Development and Public	Revenue	500	1569	2069
11	Works	Capital	500	0	500
	Total		9715	151100	160815

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.